... पीलीबंगा   --- अप्राथी संख्या 4

-:: निर्णय :-

दिनांक:- 23/3/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री शेलेन्द्र कुमार नायक द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि-यह कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका हैं जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण संभावना एवं ठोस आधार है। यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शासित होते है। जिसका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है -

यह कि प्रार्थीया के पिता पुरूषोतम के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 43 एनडीआर-ए के खाता सं. 35/27 के प.नं. 70/352 (32) के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/3, 3/5, 8/1, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 की कुल 1.8140 हैक. कमाण्ड मय गै.मु. खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके है। नकल जमाबंदी संम्वत 2075-2078 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थीगण स. 1 को प्राप्त पैतृक कृषि भूमि है। जो की प्रार्थीया के दादा देवताराम से विरासतन प्राप्त है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थीगण सं.1 के प्रार्थीया सहित कुल 2 संताने हैं। इस प्रकार प्रार्थीया के पिता अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1\3 हक व हिस्सा निहित है प्रार्थीया अपने हिस्सा की भूमि पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सायुक्त अधिपत्य व धारण में शान्तिपूर्वक काविज होकर अपने हिस्सा की भूमि को ठेका पर देकर काश्त करती आ रही है परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीया की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पडता है इसलिये प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की हकदार है।

यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1ध्3 हक व हिस्सा निहित है प्रार्थीया अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर सायुक्त अधिपत्य व धारण में शान्तिपूर्वक काविज होकर अपने हिस्सा की भूमि को ठेका पर शान्तिपूर्वक काविज होकर हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करती आ रही है परन्तु उक्त कृषि भुमि अप्रार्थीगण सं. 1 होने के कारण आये दिन प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगणगण के मध्य रिंव वट को लेकर तकाजा बना रहता हैं जिससे प्रार्थीया की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पडता है। इसलिये प्रार्थीया अप्रार्थीगणगण से दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अच्छी-मंदी व काश्त की सहुलियत व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार अपना खाता तकसीम करवाकर रकम राज व पानी की बारी अलग कर खाता विभाजन करवाने की अधिकारी हैं।

यह कि प्रार्थीया ने अपने पिता अप्रार्थीगण सं. 1 से उक्त प्रार्थनाधीन भूमि में अपने पैतृक हक व हिस्सा की भूमि अपने करवाने के लिए कहा तो प्रार्थीया के पिता अप्रार्थीगण सं. 1 ने कहा मैने तो अपनी सम्पूर्ण भूमि का बैयनामा अप्रार्थीगण सं. 3 दलीपकुमार के नाम कर चुका हूँ क्योकि अप्रार्थीगण सं. 3 तेरी शादी से नाराज है। उसने मुझे धमकी दी थी कि उक्त सम्पूर्ण भूमि मेरे नाम नही करवाओगे तो अप्रार्थीगण सं. 2 भावना को छोड दूगा और आप से रिश्ता भी खतम कर दूगा। इसलिए प्रार्थीया के पिता अप्रार्थीगण सं. 1 ने अप्रार्थीगण सं. 3 के कहे अनुसार प्रतिफल रहित बैयनामा करवाना बताया। प्रार्थीया को उक्त भूमि के बैचान का पता चला तो प्रार्थीया ने उक्त सूचना की पुष्टी करने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो पता चला कि वास्तव में अप्रार्थीगण सं. 3 ने अप्रार्थीगण सं. 1 की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उक्त प्रार्थनाधीन सम्पूर्ण भूमि का विधि विरूद्ध बैयनामा अपने पक्ष में करवा लिया है। चूंकि अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिससे अप्रार्थीगण सं.1 किसी भी तरह से अवैध रूप से बैचान नही कर सकता है, अप्रार्थीगण सं. 1 को पैतृक भूमि में प्रार्थीया के हक व हिस्सा की भूमि का बैचान करने का कोई अधिकारी प्राप्त नही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सं. 1 द्वारा अप्रार्थीगण सं. 3 के पक्ष में षडयंत्र पूर्वक विधि विरूद्ध किया गया बैयनामा प्रार्थीया के हक व अधिकारो पर निराःप्रभावी व शून्य दस्तावेज है।

यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 जो कि लालवी किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थीगण स. 1 अन्य अप्रार्थीगणगण सं. 3 के किसी नाजायज दबाव मे है। इसी नाजायज दबाब के चलते दफा 3 में वर्णित अपने हिस्सा की कृषि भूमि को प्रतिफल रहित बैयनामा करवाकर अपने व अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुशकिल होगा व प्रार्थीया अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगी। इसलिये प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगणगण इस आशय की शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि को अन्य रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्ताकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे 16. यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 15 जो कि लालवी किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थी स. 1 अन्य अप्रार्थी सं. 11 व 12 के किसी नाजायज

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दबाब मे है। इसी नाजायज दबाब के चलते दफा 3 में वर्णित अपने हिस्सा की कृषि भूमि को औने पौने दामो में किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुशकिल होगा व प्रार्थीया अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिये तात्कालिन परिस्थितियों दृष्टीगत प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थीगण दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थीया को बेकाबिज न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला प्रार्थना विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण तहसील तहसील पीलीबंगा के चक 43 एनडीआर-ए के खाता सं. 35/27 के प. नं. 70/352 (32) के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/3, 3/5, 8/1, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 की कुल 1.8140 हैक. कमाण्ड मय गै.मु. खाला रास्ता खातेदारी में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि मे से प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा कमाण्ड मय गैर मु. खाला रास्ता खातेदारी भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, प्रार्थीया को बेकाबिज न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई जिसपर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता हाजिर आये जवाब मय वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 से 3 निम्न प्रकार से है– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीया को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 कतई गलत है स्वीकार नही। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं.1 सयुक्त परिवार के सदस्य नही है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं.2 जो शादीशुदा है अपने ससुराल रहती है। अप्रार्थी सं.3 इस परिवार का सदस्य नही है। अप्रार्थी सं. 1 अपनी पत्नी के साथ रहता है। प्रार्थीया जो अप्रार्थी सं.1 के साथ नही रहती है। यह परिवार सयुक्त नही है। प्रार्थीया न तो सहदायिकी एवं न ही सहअशदायी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड की हद तक ही स्वीकार है परन्तु यह भूमि अब अप्रार्थी सं.1 पुरूषोतम की नही है। यह समस्त भूमि अप्रार्थी सं.1 पुरूषोतम ने दिनांक 10.10.2025 को अप्रार्थी सं. 3 दलीप कुमार को सप्रतिफल बिलमुक्ता 19,90,000/ रूपे में बेचान कर दस्तावेज बैयनामा निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया है और इस बैयनामा की पालना में कब्जा अप्रार्थी सं. 3 दलीप कुमार को दे दिया है। इसलिये इस भूमि का कब्जा मुताबिक बैयनामा अप्रार्थी सं.3 के पास है। अप्रार्थी दलीप कुमार ही इस प्रशनगत भूमि का हकदार व खातेदार काश्तकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 कतई गलत मिथ्यारचित विधि विरूद्ध है स्वीकार नही है। प्रशनगत चक 43 एनडीआर-ए की 1.814 हैक. भूमि श्री देवाराम से पुरूषोतम को विरासत में प्राप्त भूमि नही है। यह भूमि पैतृक सम्पति भी नही है। इसलिये इस भूमि में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थीया का प्रशमनत भूमि के किसी भी अंश पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और न ही अब कब्जा काश्त है। इस भूमि पर अप्रार्थी पुरूषोतम का अकेले का बतौर खातेदार कब्जा काश्त रहा है और अब दिनांक 10.10.2025 के बाद से बतौर खरीददार अप्रार्थी सं. 3 दलीप कुमार का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थीया ने समस्त तथ्य मात्र दावा को रंगत देने की नियत से गलत व मिथ्यारचित किये है। प्रश्नगत भूमि देवाराम अपने जीवनकाल में अपने पुत्र अप्रार्थी सं.1 पुरूषोत्तम के नाम अंकित करवा दी थी। इसलिये यह भूमि अप्रार्थी सं.1 को विरासत में प्राप्त न होने के कारण विरासत में प्राप्त भूमि नही है। अप्रार्थी सं. 1 अपनी पत्नी के साथ ही रहता है और इस भूमि को अकेला ही काश्त करता रहा है। अप्रार्थी सं.1 को अपने परिवार की आवश्यकता व अन्य कार्यो हेतू लिये गये ऋण व पारिवारीक आवश्यका के लिये रूपयों की अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण अपनी इस 1.814 हैव. भूमि का बेचान का सौदा अप्रार्थी दलीप कुमार से कुल 19,90,000/- रूपये में किया था। इसमें से 3,14,000/- रूपये यूपीआई ट्राजैक्शन से मुझ अप्रार्थी पुरूषोतम को दलीप कुमार द्वारा दिये गये शेष प्रतिफल राशि 16,76,000/- रूपये बवक्त बैयनामा दिनांक 10.10.2025 को जरिये तीन चैक एचडीएफसी बैंक पीलीबंगा के अप्रार्थी पुरूषोतम को अप्रार्थी दलीप कुमार द्वारा दिये गये। यह भूमि सप्रतिफल अप्रार्थी सं.3 को बेचान कर मुझ अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में बैयनामा करवाया गया है। इसलिये इस भूमि में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नही है। वह किसी प्रकार की घोषणा पाने की हकदार नही है

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई गलत विधि विरूद्ध व मनगढ़त है स्वीकार नही। प्रार्थीया का इस भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। इस भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 ही हमेशा अकेला काश्त करता रहा है। बैयनामा दिनांक 10.10.2025 से मुझ अप्रार्थी सं. 3 का बतौर खरीददार खातेदार काश्तकार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। प्रार्थीया ने समस्त तथ्य गलत व मिथ्या अकिंत किये है। मुझ अप्रार्थी सं. 3 जो सदभावी खरीददार है। यह प्रश्नगत 1.814 हैव. भूमि अप्रार्थी सं.1 से 19,90,000/- रूपये में खरीद की है। इस भूमि का पंजीकृत बैयनामा मुझ अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में अप्रार्थी सं.1 द्वारा करवाया गया है। इस कुल प्रतिफल में से 3,14,000/- रूपये युपीआई ट्राजैक्शन द्वारा अदा किये गये है शेष प्रतिफल राशि 16,76,000/- रूपये के तीन चैक एफडीएफसी बैंक पीलीबंगा के अप्रार्थी सं. 1 को बवक्त बैयनामा दिनांक 10.10.2025 को अदा किये गये है। अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा है और इस बैयनामा के आधार पर वह इस भूमि का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थीया इस भूमि की खातेदार काश्तकार नही है और न ही प्रार्थीया का इस भूमि में कोई हक हिस्सा है। इसलिये कानूनन वह किसी भी प्रकार का खाता विभाजन करवाने की हकदार नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित समस्त तथ्य मनगढ़त, दावा को रंगत देने की नियत से मिथ्यारचित है स्वीकार नही। अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.3 के पक्ष में करवाये गये बैयनामा एवं इस भूमि के सौदा बाबत प्रार्थीया को पूर्ण जानकारी है। अप्रार्थी सं.1 के अत्यधिक कर्जे को चुकाने व अपनी अन्य पारिवारीक व निजि आवश्यकाओ के लिये इस भूमि का सप्रतिफल बेचान अप्रार्थी दलीप कुमार को किया है। मुझ अप्रार्थी सं. 3 द्वारा इस भूमि का पूर्ण प्रतिफल अदा कर बतौर सदभावी क्रेता के इस भूमि को खरीद की है। प्रार्थीया द्वारा मुझ अप्रार्थी सं. 3 पर गलत व मिथ्या इल्जाम लगाये गये है। प्रार्थीया को इस भूमि के सौदा व बेचान की शुरू से ही जानकारी है। मुझ अप्रार्थी सं.1 ने बिना किसी दबाव व धमकी के इस भूमि का अपनी स्वेच्छा से बेचान किया है। अप्रार्थी दलीप कुमार द्वारा मुझे कोई धमकी व दबाव नही दिया गया है। प्रार्थीया ने समस्त तथ्य मिथ्या अकिंत किये है। अप्रार्थी पुरूषोतम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का वैध बेचान दिनांक 10.10.2025 को एक विधि सम्मत एवं पंजीकृत दस्तावेज से अप्रार्थी सं.3 के पक्ष में किया गया है। प्रार्थीया का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नही है । अप्रार्थी सं. 3 द्वारा मुझ अप्रार्थी सं. 2 को छोड़ने बाबत कभी भी धमकी नही दी गई है। प्रार्थीया पर नाजायज दबाव डालकर उससे यह गलत एवं झूठा दावा हम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से करवाया गया है। दस्तावेज बैयनामा दिनांक 10.10.2025 एक पंजीकृत व वैध दस्तावेज है। जिसे राजस्व न्यायालय को शून्य घोषित करने का अधिकार नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कतई गलत है स्वीकार नही। प्रार्थीया को अप्रार्थी पुरूषोतम द्वारा अपनी भूमि के बेचान का सौदा व बैयनामा दिनांक 10.10.2025 अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में करवाने बाबत पूर्ण जानकारी थी। जिसका वर्णन उसने वाद पत्र की दफा 6 में अंकित किया है और इस दफा में वह किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को बेचने के तथ्य अंकित किये है। प्रार्थीया की इन तथ्यो से भी पूर्णतया साबित है कि यह दावा मिथ्य कथनो पर आधारित है। प्रार्थीया ने दबाब व लालच में आकर यह दावा पेश किया है। मुझ अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में इस भूमि का बेचान व दस्तावेज बैयनामा की प्रार्थीया को पूर्ण जानकारी है। अप्रार्था दलीप कुमार मुताबकि बैयनामा प्रशगत भूमि का एकल स्वामी व खातेदार है। जो अपने हक हिस्सा की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीया अन्य व्यक्तियों से मिलकर बिना किसी हक हिस्सा व आधार के स्थगन आदेश की आड़ में मुझ अप्रार्थी सं. 3 के कब्जा काश्त में दखलदाजी करना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा स्थंगन लेने के कारण इस भूमि का मुताबिक बैयनामा नामान्तरण दर्ज नही हुआ है। प्रार्थीया का प्रशनगत भूमि के किसी भी अशं पर कब्जा काश्त नही है और न ही इस भूमि में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा है। प्रार्थीया को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी सं. 1 व 3 के पक्ष में है। प्रार्थीया किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार नही है अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

लिखित बहस प्रार्थीया की ओर से निम्न प्रकार निवेदित है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित प्रश्नगत भुमि में प्रार्थीया द्वारा अपने हक व हिस्सा बाबत खातेदारी घोषणा, खाता विभाजन, एंव शाश्वत व्यादेश हेतू मूल वाद पत्र के साथ धारा 212 रा.का. अधि I का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया था। उक्त प्रश्नगत भूमि हिन्दू परिवार की सहदायीक सम्पति हैं, जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 सहदायिकध कोपार्सनरी हैं। श्रीमान न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति का मामला बनता हैं। तो अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.11.2025 से पाबंद किया गया कि प्रश्नगत भुमि में प्रार्थीया के हक व हिस्सा की भूमि पर अप्रार्थीगण मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखेगे। प्रश्नगत भुमि का वाद पत्र अभी लम्बीत हैं ऐसी सुरत में अन्तरिम आदेशों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप प्रार्थीया के हक व हिस्सा के लिए घातक सिध्द होगा। क्योकी अप्रार्थी सं. 3 के विक्रय पत्र के प्रभाव में आने से प्रार्थीया के साम्पतिक सहदायिक अधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है। इस विक्रय पत्र के प्रभाव में आने से प्रार्थीया के विधिक अधिकारो पर धुन्ध आच्छादित हो गई हैं तथा अप्रार्थी सं. 3 अमलदरामद करवाने पर उतारू व प्रयासरत हैं। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.11.2025 को ता फैसला वाद कन्फर्म किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक हैं। इस संम्बध में श्रीमान राजस्व बॉर्ड अजमेर ने भी अपने निणर्य जैतुन बनाम बंवरसिह आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) DNJ (Rev-) 2022 (1) Page No- 748 में यह स्पष्ट कहा है कि वाद पत्र अभी लम्बीत हैं अन्तरिम आदेशो में हस्तक्षेप नही किया जा सकता,वाद पत्र के निस्तारण तक यथास्थिती रखें।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

इसी प्रकार सन्दीपकौर बनाम सुमन आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) DNJ (Rev.) 2021 (1) रेहम छव. 269 में भी यह स्पष्ट किया हैं कि वाद पत्र अभी लम्बीत हैं, वाद पत्र के निस्तारण तक न्यायहित मे प्रार्थीया के हक हिस्से की भुमि बाबत उभयपक्ष मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे ।

प्रस्तुत दृष्टांतो के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.11.2025 को कन्फर्म किया जाना न्यायोचित एवं अति आवश्यक हैं।

मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 पिता पुत्री हैं, अप्रार्थी सं. 2 व 3 प्रार्थीया के बहन बहनोई हैं, प्रार्थीया व अप्रार्थीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है जो हिन्दू विधि से शासित होते हैं ओर हिन्दु विधि यह प्रावधान करती हैं कि पैतृक सम्पति में सभी वारिसान का ब.हि.ब. हक व हिस्सा निहित होता हैं। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त पैतृक कृषि भूमि (Ancestral land) है। जो की प्रार्थीया के दादा देवताराम से विरासतन प्राप्त है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.1 के प्रार्थीया सहित कुल 2 संताने हैं। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 पुरूषोतम के कोई पुत्र संतान नही हैं, प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 पुरूषोतम ने हमेशा ही अपनी दोनो पुत्रीयो को पुत्र के सम्मान ही माना व हमेशा यह कहते रहते की मैं तो अपनी समस्त जमीन जायदात अपनी दोनो बेटियों को ब.हि.व. दुगा यही मेरे बुठापे का एकमात्र सहारा हैं। इस प्रकार प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हक व हिस्सा निहित है, प्रार्थीया अपने हिस्सा की भूमि पर संयुक्त अधिपत्य व धारण में शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीया की शादी से अप्रार्थी सं. 2 व 3 सहमत नही थे क्योकी प्रार्थीया की शादी से पहले प्रार्थीया का पति हंसराज व अप्रार्थी सं. दलीप कुमार दोनो आपस में अच्छे दोस्त थे साथ ही काम करते थे दलीप ने ही सर्वप्रथम प्रार्थीया एकता व हंसराज के रिश्ते की बात चलाई थी बाद में दोनो में मन मुआव हो गया ओर दलीप प्रार्थीया के रिश्ते के खिलाफ हो गया फिर भी प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विरूद्ध होकर हंसराज से शादी कर ली जिसे अप्रार्थी सं. 2 व 3 नाराज हो गये व प्रार्थीया से माता पिता व अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने रिश्ता खत्म करने की बात कही। कुछ समय बाद प्रार्थीया ने अपने माता पिता से मिलना चाहा तो अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने उन्हे नही मिलने दिया जबकी माता पिता भी प्रार्थीया से मिलना चाहते थे। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपने असमयक दबाव व प्रभाव के चलते ना मिलने दिया ना ही बात चित करने दी। फिर प्रार्थीया ने अपने पिता से मिलकर बात की प्रार्थीया ने अपने पिता अप्रार्थी सं. 1 से उक्त प्रश्नगत भूमि में अपने पैतृक हक व हिस्सा की भूमि अपने नाम करवाने के लिए कहा तो प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं 1 ने कहा मैने तो अपनी सम्पूर्ण भूमि का बैयनामा अप्रार्थी सं. 3 दलीपकुमार के नाम कर चुका हूँ क्योकि अप्रार्थी सं. 3 तेरी शादी से नाराज है। उसने मुझे धमकी दी थी कि उक्त सम्पूर्ण भूमि मेरे नाम नही करवाओगे तो तुम्हारी बेटी अप्रार्थी सं. 2 भावना को छोड़ दूंगा और आप से रिश्ता भी खतम कर दूगा। इसलिए प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.1 ने अप्रार्थी सं. 3 के कहे अनुसार प्रतिफल रहित बैयनामा करवाना बताया। प्रार्थीया को उक्त भूमि के बैचान का पता चला तो प्रार्थीया ने उक्त सूचना की पुष्टी करने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो पता चला कि वास्तव में अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी सं.1 की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का विधि विरूद्व बैयनामा अपने पक्ष में करवा लिया है। जिस पर मजबुरी वंश प्रार्थीया को श्रीमान न्यायालय की शरण में अपने अधिकारो की सुरक्षार्थ आना पडा। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिससे अप्रार्थी सं.1 किसी भी तरह से अवैध रूप से बैचान नही कर सकता है, अप्रार्थी सं. 1 को

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पैतृक भूमि में प्रार्थीया के हक व हिस्सा की भूमि को बैचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में षड्यंत्र पूर्वक विधि विरूद्ध किया गया बैयनामा प्रार्थीया के हक व अधिकारो पर निशःप्रभावी व शून्य दस्तावेज है। प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हक व हिस्सा निहित है प्रार्थीया अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर संयुक्त आधिपत्य व धारण में शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती आ रही हैं। प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि (Ancestral land) है। जो की प्रार्थीया के पड़ दादा रतिराम से दादा देवताराम को तथा दादा देवताराम से प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 व अन्य भाई भतीजों को पैतृक के आधार पर श्रीमान न्यायालय से जरिये डिग्री प्राप्त हुई हैं। उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के पैतृक होने के दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संम्वत 2071 74,2075 78 पत्रावली पर मोजूद है जिनके अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक कृषि भूमि (Ancestral land) है। अप्रार्थी स. 1 अप्रार्थी सं. 3 के किसी नाजायज दबाव मे है। इसी नाजायज दबाव के चलते दफा 3 में वर्णित में कृषि भूमि को प्रतिफल रहित बैयनामा करवाकर अपने नाम अमलदरामद करवाना चाहता है। अप्रार्थी सं. 3 ने उक्त बैयनामा के आधार पर अमलदरामद की ऑनलाईन प्रक्रिया को अपनाकर इन्तकाल प्रक्रियाधीन करवा रखा हैं। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त ही मुश्किल होगा व प्रार्थीया अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगी। तथा प्रश्नगत भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार परिवर्तीत हो जावेगा। इसलिये प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद प्राप्त करने की हकदार है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि को अन्य को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व प्रार्थीया को वैकाबिज न करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पैतृक कृषि भूमि (Ancestral land) के सम्बध में श्रीमान राजस्व बॉर्ड अजमेर ने भी अपने निणर्य शांति देवी बनाम हनुमान आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) DNJ (Rev-) 2024 (1) Page No- 558 में यह स्पष्ट किया है कि अचल सम्पति का विवाद है तो निस्तारण तक सम्पति को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसी प्रकार दयाराम आदि बनाम पदीप आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) DNJ (Rev-) 2022 (2) Page No- 1286 में भी यह स्पष्ट किया है कि अगर सम्पति पैतृक व अविभाजित हैं तो सम्पति की स्थिती में परिवर्तन संम्भव है, वादों की बहुलता भी संम्भव हैं, वाद पत्र के निस्तारण तक यथास्थिती रखना जरूरी है।

चूंकि भुमि पैतृक कृषि भूमि (Ancestral land) इसलिये प्रार्थीया के हितो की सुरक्षा के लिये प्रश्नगत रकबा की ता फैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखना जरूरी है। इसके उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा अपना जबाब पेश किया गया जिसमे अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 2 में कथन किये हैं कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य नही हैं। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 2 जो शादी शुदा हैं अपने सासुराल रहती हैं। अप्रार्थी सं. 3 इस परिवार का सदस्य नही हैं। अप्रार्थी सं. 1 अपनी पत्नी के साथ रहता हैं। यह परिवार संयुक्त नही हैं प्रार्थीया न तो सहदायिकी एवं न ही सहअंशदायी हैं। जो झूठे व मनघड़त कथन किये हैं क्योकि वास्तवीक स्थिती इसके विपरीत रही है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 वास्तविक पिता पुत्री हैं तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 2 सग्गी बहने है। अप्रार्थी सं. 3 अप्रार्थी सं. 2 का पति, इसलिये पिता पुत्री एक ही परिवार के सदस्य है। प्रश्नगत भुमि पैतृक भूमि (Ancestral land) ही हैं क्योकी उक्त भुमि प्रार्थीया के पड़दादा रतिराम से वादीया के दादा देवताराम को विरासतन प्राप्त हुई। तथा देवताराम द्वारा अपने पुत्रो व पौतो के पक्ष मे जरिये डिक्री पैतृक भुमि दी गई। वादाधीन भूमि पैतृक भूमि (Ancestral land) होने से प्रार्थीया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

को इसमें जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है जिससे अप्रार्थीगण मनमाने ढंग से नकार नही सकते है। इसके अतिरिक्त ने जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वादग्रस्त भूमि अब अप्रार्थी सं 1 पुरूषोतम की नही होने, समस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा 10.10.2025 को अप्रार्थी सं. 3 दलीप कुमार को समतिकत बिलमुक्ता 1990000/- रुपये मे बेचान कर दस्तावेज बैयनामा निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया है तथा बैयनामा की पालना में भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं 3 के पास होने के कथन किये है। जो कि श्रीमान न्यायालय को मात्र गुमराह करने के लिये किये है जो असत्य है क्योकी उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि है जो की कोपार्सनरी एक अविभाजित सम्पति है। अप्रार्थीगण के द्वारा कथित बैयनामा कोपार्सनरी एक अविभाजित सम्पति के सम्बंध मे किया विक्रय पत्र विधिक तौर पर मूलतः ही अवैध व शुन्य है।

वादग्रस्त भूमि के सम्बंध मे किया गया विक्रय पत्र अविधिक व अधिकारिता रहित है। अप्रार्थी सं. 1 को पैतृक भूमि, जिसमे प्रार्थीया सहदायिक कोपार्सनरी अंश रखती है, को निजि सम्पति मानकर इसे विक्रय पत्र के जरिये अन्तरित करने का मूलतः ही अधिकार अप्रार्थी सं. 1 को नही है। अप्रार्थी सं. 1 के कोई पुत्र संन्तान नही है इसी बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपने पिताससुर अप्रार्थी सं. 1 की इच्छाओ के विरूद्ध कथित बैयनामा निष्पादित करवाया है। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.1 के प्रार्थीया सहित कुल 2 संताने है इस प्रकार प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे प्रार्थीया का 1/3 हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीया का अपने हिस्सा की भूमि पर संयुक्त अधिपत्य व धारण मे शान्तिपूर्वक काबिज होकर अपने हिस्सा की भूमि पर काश्त करती आ रही है। अप्रार्थी सं. 3 कतई उक्त प्रश्नगत भुमि का हकदार व खातेदार काश्तकार नही है। इसके अतिरिक्त मे जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 4 में कथन किये है कि चक 43 एनडीआर-ए की 1.814 हैक. भुमि देवताराम से पुरुषोतम को विरासतन में प्राप्त नही है। यह भुमि पैतृक सम्पति भी नही है आदि आदि कथन कर उक्त वादग्रस्त भूमि को स्वअर्जित साबित करने का असफल प्रयास किया है। जो असत्य होने से अस्वीकार है। क्योकी वास्तविकता यह कि प्रश्नगत चक 43 एनडीआर-ए की 1.814 हैक. भुमि प्रार्थीया के पड़दादा व अप्रार्थी सं. 1 के दादा रतिराम से देवताराम को विरासतन प्राप्त हुई तथा देवताराम द्वारा अपने पुत्रों व पौतों के पक्ष में जरिये डिकी भुमि पैतृक होने के कारण दी गई। जहा तक अप्रार्थीगण का कथन रहा कि पारिवारिक आवश्यकता एवं अन्य कार्यों के लिए रूपयों की अत्याधिक आवश्यकता होने के कारण अपनी इस 1.814 हैक. भुमि के वैचान का सौदा अप्रार्थी सं. 3 दलीप कुमार से कुल 19,90,000/- रूपये में किया था जो की असत्य होने से अस्वीकार हैं जबकी वास्तविकता इससे भीन्न है अप्रार्थी सं. 2 व 3 प्रार्थीया की शादी से नाराज हैं जिसके चलते अप्रार्थी सं. 1 को अपने असंभयक प्रभाव में लेकर मश्वरा ए वकील कर उक्त प्रश्नगत भुमि में से प्रार्थीया के हक हिस्सा को मारने की गर्ज से यह प्रतिफल रहित बैयनामा करवाया गया हैं। जबकी उक्त भुमि में से 1/3 हिस्सा की भुमि को खरिदने की अप्रार्थी सं. 3 को कोई आवश्यकता नही थी क्योकी 1/3 हिस्सा भुमि तो अप्रार्थी सं. 2 की थी ही ओर अप्रार्थी सं. 2 व 3 आपस में पति-पत्नी है इसलिये अप्रार्थीगण द्वारा जल्दबाजी मे अपना ही हिस्सा खरिद दिखा दिया है जिससे यह स्पष्ट प्रतित होता है कि बैयनामा कुटरचित व प्रतिफल रहीत हैं, अगर अप्रार्थी सं. 3 के पास इतनी राशी थी तो उसने अपने ससुर कि मदद न कर उक्त भुमि खरिद क्यों की गई। तथा जो राशी चैको द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को देनी बता रहे वह भी उन्हे प्राप्त नही हुई और ना ही ऐसी कोई आपातकालिन स्थिती थी कि अप्रार्थी सं. 1 को अपनी जमीन बैचनी पड़े। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने प्रश्नगत भुमि को बदयानती पूर्वक हड़पने की नियत से यह बैयनामा को नाकाम चाल चली हैं। अप्रार्थी सं. 3 का दस्तावेज बैयनामा प्रार्थीया के अधिकारो पर शुरू से ही निष्प्रभावी व

3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

शुन्य दस्तावेज हैं। प्रार्थीया अपने 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी हैं जिसको अप्रार्थीगण मनमाने ढंग से नकार नही सकते है। इसके अतिरिक्त में जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 5 में भी मनघड़त मिथ्या व आधारहीन कथन किये हैं कि इस भुमि में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नही है, इस भुमि पर अप्रार्थी सं. 1 ही हमेशा अकेला काश्त करता रहा है, बैयनामा के समय से अप्रार्थी सं. 3 का बतौर खरिददार खातेदार काश्तकार शांतीपूर्वक कब्जा काश्त होने के आदि आदि कथन कर अप्रार्थी सं. 3 द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के लिये उपरोक्त वर्णित बेबुनियाद कथन कर मामले में जटिलता पैदा करने की नाकाम कोशिश की गई हैं। जबकी वास्तवीकता इससे भिन्न है उक्त वादाधीन भूमि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम आज भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भुमि हैं जो की (कोपार्सनरी) एक अविभाजित सम्पति हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा कथित बैयनामा कोपार्सनरी एक अविभाजित सम्पति के सम्बध में किया विक्रय पत्र विधिक तौर पर मूलतः ही अवैध व शुन्य हैं। वादाधिन भुमि के सम्बंध में किया गया विक्रय पत्र अविधिक व अधिकारीता रहित हैं। अप्रार्थी सं. 1 को पैतृक भूमि, जिसमे प्रार्थीया सहदायिक अंश रखती हैं, को निजि सम्पति मानकर इस विक्रय पत्र के जरिये अन्तरित करने का मूलतः ही अधिकार अप्रार्थी सं. 1 को नही हैं। अप्रार्थी सं. 1 के कोई पुत्र संन्तान नही हैं इसी बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपने पिता ससुर अप्रार्थी सं. 1 की इच्छाओं के विरूद्ध कथित बैयनामा निष्पादित करवाया हैं। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.1 के प्रार्थीया सहित कुल 2 संताने हैं इस प्रकार प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1ध्3 हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीया का अपने हिस्सा की भूमि पर सयुक्त अधिपत्य व धरण में शान्तिपूर्वक काबिज होकर अपने हिस्सा की भूमि पर काश्त करती आ रही हैं इसलिए वह अपने हक हिस्सा कि कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अच्छी–मंदी व काश्त की सहुलियत व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार अपना खाता विभाजन करवाने की अधिकारी हैं। प्रश्नगत भुमि का अप्रार्थी सं. 3 कतई उक्त प्रश्नगत भूमि का हकदार व खातेदार काश्तकार नही हैं। इसके अतिरिक्त में जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 6 में भी आधारहीन कथन किये हैं कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में करवाये गये बैयनामा एवं इस भूमि के सौदा बाबत प्रार्थीया को पूर्ण जानकारी होने के आदि–आदि –– हैं। क्योकी प्रार्थीया ने अपने पिता अप्रार्थी सं. 1 से उक्त वादाधीन भूमि में अपने पैतृक हक व हिस्सा की भूमि अपने करवाने के लिए कहा तो प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 ने कहा मैने तो अपनी सम्पूर्ण भूमि का बैयनामा अप्रार्थी सं.3 दलीपकुमार के नाम कर चुका हूँ क्योकि अप्रार्थी सं. 3 तेरी शादी से नाराज है। उसने मुझे धमकी दी थी कि उक्त सम्पूर्ण भूमि मेरे नाम नही करवाओगे तो अप्रार्थी सं. 2 भावना को छोड़ दूंगा और आप से रिश्ता भी खतम कर दूंगा। इसलिए प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं.1 ने अप्रार्थी सं. 3 के कहे अनुसार प्रतिफल रहित बैयनामा करवाना बताया। प्रार्थीया को उक्त भूमि के बैयान का पता चला तो प्रार्थीया ने उक्त सूचना की पुष्टी करने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो पता चला कि वास्तव में अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी सं.1 की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उक्त वादाधीन सम्पूर्ण भूमि का विधि विरूद्ध बैयनामा अपने पक्ष में करवा लिया है। जहां तक अप्रार्थीगण के प्रार्थीया पर नाजायज दबाब डालकर उसको यह गलत एवं झुठा दावा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से करवाया गया आदि–आदि कथन किये है जो पूर्णतः असत्य हैं। प्रार्थीया एक पढी लिखी व बालिग लड़की हैं तथा प्रार्थीया के सासुराल पक्ष के वाले भी पढे लिखे खुले विचारों के व्यक्ति है प्रार्थीया पर किसी प्रकार का दबाब होने का तो मतलब ही पैदा नही होता प्रार्थीया ने अपने माता पिता के जीवन यापन करने के एक मात्र सहारे को अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा हड़पने की कोशिश के चलते अपना स्वयंत स्वतंत्र इच्छा से प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिसको अप्रार्थी सं.1 किसी भी तरह से

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अवैध रूप से बेचान नही कर सकता है, अप्रार्थी सं. 1 को पैतृक भूमि में प्रार्थीया के हक व हिस्सा की भूमि का बेचान करने का कोई अधिकारी प्राप्त नही है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में षडयंत्र पूर्वक विधि विरूद्ध किया गया बेचनामा प्रार्थीया के हक व अधिकारो पर निष्प्रभावी व शून्य दस्तावेज है जो प्रार्थीया के हक व हिस्सा पर निष्प्रभावी होने से प्रार्थीया अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाने की अधिकारीणी है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है ।

अतः प्रार्थीया की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र वा फैसला वाद स्थाईकन्फर्म किया जावें । श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थीया की ओर से निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत हैं

भंवरसिंह आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) DNJ (Rev-) 2022 (1) Page No- 748 (वाद पत्र अभी लम्बीत हैं अन्तरिम आदेशो में हस्तक्षेप नही किया जा सकता, वाद पत्र के निस्तारण तक यथास्थिती रखे)

सन्दीपकौर बनाम DNJ (Rev-) 2021 (1) सुमन आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर)Page No- 269 (वाद पत्र अभी लम्बीत हैं, वाद पत्र के निस्तारण तक न्यायहित मे प्रार्थीया के हक हिस्से की भुमि बाबत उभयपक्ष मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे)

दयाराम आदि बनाम प्रदीप आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) DNJ (Rev-) 2022 (2) Page No- 1286 (सम्पति पैतृक व अविभाजित हैं, सम्पति की स्थिती में परिवर्तन सम्भव है, वादों की बहुलता भी सम्भव हैं, वाद पत्र के निस्तारण तक यथास्थिती रखे)

शांति देवी बनाम हनुमान आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) क्छश्र (त्मअ.) 2024 (1) च्ंहम छव. 558 (अचल सम्पति का विवाद है तो निस्तारण तक सम्पति को सुरक्षित रखना जरूरी है)

डालाराम बनाम दुर्गाराम आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) DNJ (Rev-) 2021 (1) च्ंहम छव. 591 (कार्यवाहीयो की बहुलता को रोकने के लिए, मौके व रिकार्ड में वाद पत्र के निस्तारण तक यथास्थिती रखे)

हिन्दुस्तान मशीन टूल लि. बनाम रामदेव आदि (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू राज. अजमेर) DNJ (Rev) 2022 (1) Page No- 624 (वाद पत्र अभी लम्बीत हैं, तो निस्तारण तक सम्पति को सुरक्षित रखना जरूरी है)

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस जवाब अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की और से प्रस्तुत किया गया है जवाब लिखित बहस निम्न प्रकार से है –यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र लिखित बहस का एक भाग माना जावे। यह कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अपने को सयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य व सहदायिकी होने के गलत एवं विधि के विरूद्व तथ्य पेश किये है।

सयुक्त हिन्दू परिवारः— हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार स्पष्ट है कि विवाहित पुत्रीयां सयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य नही होती है। अविवाहित पुत्रीयां ही इस परिवार में शामिल है। प्रार्थीया विवाहित है इसलिये वह सयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य नही है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार सहदायिकी में केवल पुरूष शामिल रहते है महिला शामिल नही हो सकती है। एक ही पुरूष वंशज जो चौथी पीढी तक

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पुरूष पतियों के ही सहदायिकी गठन करते है। इसलिये प्रार्थीया सहदायिकी की श्रेणी में नही आती है।

इस प्रकार प्रार्थीया न तो सयुक्त परिवार की सदस्य है और न ही सहदायिकी है इसलिये प्रशनगत भूमि में इसका कोई हक नही है।

यह कि प्रशनगत भूमि अप्रार्थी सं.1 को विरासतन में प्राप्त भूमि नही है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र की दफा 3 व बहस में हुए अप्रार्थी को विरासतन होने के तथ्य गलत अकित किये है। प्रशनगत भूमि अप्रार्थी पुरूषोतम को उसके पिता के जीवनकाल में ही न्यायालय डिक्री से प्राप्त हुई भूमि है। जिसके नामान्तरण की प्रति अप्रार्थीगण ने पत्रावली में प्रस्तुत की है। इस प्रकार प्रशनगत भूमि विरासतन में प्राप्त भूमि न होने के कारण एवं जरिये डिक्री अप्रार्थी को प्राप्त होने से यह पैतृक सम्पति की श्रेणी में नही आती है। इसलिये इस भूमि में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा नही बनता है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 को अपना कर्ज चुकाने एवं पारिवारीक आवश्यक्ता हेतू रूपयो की आवश्यक्ता थी इसलिये अपनी इस भूमि के बेचान का सौदा 19,90,000/- रूपये में दलीप कुमार अप्रार्थी सं से किया। यह समस्त प्रतिफल जरिये युपीआई व चैक से प्राप्त होने पर दिनांक 10.10.2025 को अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में बैयनामा करवाकर इस भूमि का कब्जा सौंप दिया। इस समस्त तथ्यो व बैयनामा के बारे में प्रार्थीया को पूर्ण जानकारी थी जिसका वर्णन उसने उक्त प्रार्थना पत्र की दफा 6 व 7 में किया है। इस बैयनामा को निरस्त करवाने हेतू प्रार्थीया ने सिविल न्यायालय में वाद पत्र व स्थंगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसलिये प्रार्थीया इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नही है ।

यह कि प्रार्थीया की शादी हुए 02 माह हुए थे कि यह प्रार्थना पत्र व दावा पेश किया है। इसके ससुरालवालो ने नाजायज दबाब डालकर लालचवंश यह सभी कृत्य कर रहे है। ये हम अप्रार्थीगण को परेशान व तंग कर रहे है एवं स्वार्थपूर्ण उद्देश्य हेतू यह सब कार्यवाही कर रहे है।

यह कि अप्रार्थी सें.3 ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर यह भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद की है व सदभावी क्रेता है। खरीद के दिन से ही इस भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है।

बहस के समर्थन में निम्न नजीरे प्रस्तुत–1. 2019 (2) आरआरटी 777 (एससी) 2. 2018 (1) आरआरटी 692 3. 2023 आरआरटी 1090 4. 2025 आरआरटी 1181

इस प्रकार प्रार्थीया सयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य व सहदायिकी नही है। प्रशगनत भूमि विरासतन में प्राप्त सम्पति न होने के कारण पैतृक सम्पति नही है। प्रार्थीया का कब्जा काश्त नही है। दावा व प्रार्थना पत्र में वर्णित बैयनामा विधि समत दस्तावेज है जिसे सिविल न्यायालय से शुन्य घोषित करवाया जा सकता है। इस बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में दावा लम्बित है। प्रार्थीया श्रीमान न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नही है। प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य नही है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध स्थंगन जारी नही किया जा सकता। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

लिखित बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजो ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीया को प्रथम दृष्ट्या आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है जो वाद भूमि के रिकोर्ड खातेदार है। प्रार्थीया के हक हिस्से की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 53–88–188 आरटीए वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं तनकीयात के आधार पर प्रार्थीया को अपना वाद साबित करना है। प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वर्णित वाद भूमि प्रार्थीया की पैतृक संपति होना जाहिर नहीं होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे व विरूद्ध प्रार्थी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण मे सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थीया ने पूर्व में किये गए बैयनामों के संबंध में वर्णन किया है परन्तु राजस्थान काश्तकरी अधिनियम की धारा 212 रिकार्डिड खातेदार अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 को उनके हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी के उपयोग–उपभोग में असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी अप्रार्थी के पक्ष में व विरूद्ध प्रार्थी साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त प्रथम दृष्ट्या व सुविधा का सन्तुलन बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्ध साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्ध प्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण मय अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमा मित्तल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा